

दिनांक:—21.10.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं मूल वाद खारिज किया जा चुका है। वकील वादी को 3 बार आवाज लगायी गयी। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं आने पर प्रार्थना पत्र में दिनांक 25.06.2019 को जारी एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

